

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II_खण्ड 3_उप~खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2015/फाल्गुन 14, 1936

No. 504]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2015/PHALGUNA 14, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2015

का.आ. 681(अ).— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री अरविंद केजरीवाल, विधान सभा सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, विधान सभा सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है तथा इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 05 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2239 (अ) में, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्या (i) और (ii) के लिए, "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 के उप-पैरा (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- "(i) श्री अरविंद केजरीवाल, विधान सभा सदस्य, नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र;
- श्री सुरेन्द्र सिंह, विधान सभा सदस्य, दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र"

[फा. सं. 14011/23/2014-दिल्ली-II]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2239 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसके उपरांत 05 नवम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2827 (अ) और 24 फरवरी, 2015 के का.आ. सं. 609(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2015

S.O. 681 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Arvind Kejriwal, Member of the Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi, New Delhi Constituency and Shri Surender Singh, Member of Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi, Delhi Cantt. Constituency as members of the New Delhi Municipal Council and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2239(E) dated the 5th September, 2014 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in sub-paragraph (b) of paragraph 1 under the heading "under clause (b) of sub-section (1) of Section 4", for item numbers (i) and (ii) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:—

- "(i) Shri Arvind Kejriwal

 Member of Legislative Assembly, New Delhi Constituency;
- (ii) Shri Surender SinghMember of Legislative Assembly, Delhi Cantt. Constituency

[F. No.14011/23/2014-Delhi-II]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 2239(E) dated the 5th September, 2014 and subsequently amended *vide* S.O. 2827(E) dated the 5th November, 2014 and S.O. 609(E) dated 24th February, 2015.